न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 169/2009

रूडाराम पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम डाबडी रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

1. सुण्डाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 लालचन्द
1/2 शिवदयाल – पुत्रान सुण्डाराम – समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम डाबरी, रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/3 नानूराम

2. ग्यारसी लाल पुत्र घासीराम
(मृतक दौराने अपील)

2/1 सेडूराम
2/2 बनवारी लाल – पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल
2/3 मुरलीधर

2/4 श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व. श्री राजू (पुत्रवधु)

2/5 रमेश पुत्र स्व. श्री राजू (पोत्र) नाबालिग

2/6 रेखा पुत्री स्व. श्री राजू (पोत्री) नाबालिग

2/7 रिंकू पुत्री स्व. श्री राजू (पोत्री) नाबालिग

क्रम सं. 5 से 7 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व. श्री राजू। समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम डाबडी, रामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/8 भूरी देवी पत्नी मंगलाराम पुत्री स्व. श्री ग्यारसीलाल, निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2/9 मक्खनी देवी पत्नी हनुमान सहाय पुत्री स्व. श्री ग्यारसीलाल, निवासी ग्राम बदनपुरा, पोस्ट खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादी/प्रत्यर्थीगण–

3. बिरदा पुत्र भौमा (मृतक दौराने वाद)

3/1 छीतर पुत्र बिरदा

3/2 सोनी बेवा बिरदा

समस्त जाति जाट, निवासीगण डाबडी रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/3 गुल्ली बेवा कल्याण पुत्री बिरदा, जाति जाट, निवासी राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/4 मन्नी पत्नी बोदू पुत्री बिरदा, जाति जाट, निवासी राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/5 धापू पत्नी मंगला पुत्री बिरदा, जाति जाट, निवासी चैतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/6 सायरी पत्नी रामू पुत्री बिरदा, जाति जाट, निवासी राधाकिशन पुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/7 गौली पत्नी घीसा पुत्री बिरदा, जाति जाट, निवासी नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी (तरतीबी प्रत्यर्थीगण)–

4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण–

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सुमन कुमार शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री, लालचन्द्र जाट रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01–01–2018

1. यह अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 5–10–2009 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर वाद संख्या 462/2008 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकार हक, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 28–4–1993 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दावे में कथन किया गया कि ग्राम डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी साबिका ख0न0 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, जिसके बने हाल खसरा न. 434 रकबा 0.32 है0, ख.न. 435 रकबा 0.01 है0, ख.न. 436 रकबा 0.55 है0, ख.न. 437 रकबा 0.34 है0, ख.न. 438 रकबा 0.38 है0, ख.न. 439 रकबा 0.08 है0, ख.न. 466 रकबा 0.83 है0, ख.न. 467 रकबा 0.85 है0, ख.न. 468 रकबा 0.02 है0, ख.न. 441/876 रकबा 0.37 है0, ख.न. 442/877 रकबा 0.07 है0, ख.न. 443/878 रकबा 0.05 है0, ख.न. 465/879 रकबा 0.55 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 4.46 है0 वाके ग्राम डाबडी रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा सदैव से चला आ रहा है। वादीगण अपने हक हिस्से का लगाान सरकार को अदा करते आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 2 ने शामलाती रूप से गत खसरा न. 64/426 में चाह का निर्माण करवाया है एवं वादीगण ने उक्त चाह में विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 31/1/1998 प्रतिवादी सं. 2 के नाम से प्राप्त कर रखा है। खतोनी बन्दोबस्त संवंत 2010 से 2023 में एवं तदनुसार राजस्व रिर्कार्ड में वादीगण का नाम 1/2 हिस्सा पर चला आ रहा था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से वादीगण के 1/2 हिस्से का इन्द्राज वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम कर दिया। वादीगण को अधिकार हासिल है कि वह विवादित भूमि में स्वयं के 1/2 हिस्से की घोषणा अदालत से करवाये वह बाई बाउण्डस तकास्मा करवाकर अपने 1/2 हिस्से का पृथक से खाता खुलवाकार पृथक से लगान निर्धारित करवायें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2009 जारी किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2009 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य निर्विवाद होते हुए भी कि विवादित खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा अपीलार्थी के हम में जरिये निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.1962 जो न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा मुकदमा संख्या 53/61 में पारित की गई थी, के आधार पर प्राप्त हुआ है, एवं जब तक उपरोक्त डिक्री को खसरा नम्बर 64/426 तक अवैध एवं शुन्य घोषित नहीं किया जाता है तब तक उपरोक्त वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को उपरोक्त खसरा नम्बर 64/426 में खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते, क्योंकि उपरोक्त डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा पारित होने के स्वरूप अपीलार्थी के हक में उपरोक्त कृषि भूमि अन्य भाईयों के साथ बंटवारे के मुकदमें में प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया कि अपीलाथी के हक में डिक्री दिनांक 31.01.1962 के उपरान्त अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं तरतीबी प्रत्यर्थी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है एवं अपीलार्थी लगातार 12 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का वाद बाबत् कब्जा बाधित हो चुका है एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा कब्जे की दादरसी नहीं चाहने पर मात्र घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इन तर्को पर गौरन नहीं करने पर कि प्रत्यर्थी

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित कृषि भूमि के संबंध में कब्जे के आधार के सम्यक परिस्थिति में बिना कब्जे के आधार को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्सय नहीं है।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, के संबंध में प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं बंटवारा करने की दादरसी चाही गई जिसका जवाब अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कर उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अपीलार्थी के हक में जरिये फैसला/निर्णय/डिक्री दिनांक 31.01.1962 मुकदमा नम्बर 53/61 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर की पालना में अपीलार्थी के अन्य भाईयों के साथ बंटवारे के मुकदमे में उक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है, एवं जब तक उपरोक्त डिक्री व निर्णय को अपास्त नहीं कर दिया जाता है तथा जब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है एवं अन्य तथ्यों को भी अस्वीकार कर दावा खारिज करने की प्रार्थना की गई। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05—09—2009 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व साक्ष्य के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद होते हुए कि विवादित खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय डिक्री दिनांक 31—01—1962 जो न्यायालय द्वारा पारित किया गया था उसकी अनुपालना में अपीलार्थी को खातेदारी प्राप्त हुई हैं और जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उपरोक्त डिक्री को अपास्त नहीं कर दिया जाता तब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थी के हक में डिक्री दिनांक 31—01—1962 के उपरान्त अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं तरतीबी प्रत्यर्थी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है एवं अपीलार्थी लगातार निर्णय दिनांक से ही काबिज होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का वाद बाबत् कब्जा बाधिक हो चुका है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का वाद बाबत् कब्जा बाधिक हो चुका है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने वाद में कब्जे कि दादरसी नहीं चहाने पर मात्र घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इन तथ्यों पर गौर नहीं करने पर कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित कृषि भूमि के संबंध में कब्जे के आधार के सम्यक परिस्थिति के बिना कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इन तर्को पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी बिरदा की अन्य दो भाईयों के साथ ग्राम डाबडी में 108 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें वादी द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त घोषणत्मक वाद में उक्त खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा अपीलार्थी के हक में आ गया एवं प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में 1/2 डिक्री होने से अपीलार्थी के हक में आये खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि से महरूम हो गया जबकि उसके भाईयों की भूमि उक्त खसरा नम्बर में न होने के कारण अपीलार्थी के भाईयों की भूमि अपीलार्थी से 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि अधिक हो गयी तथा अपीलार्थी के हिस्से में अपने भाईयों की तुलना में 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि कम हो गई जो कि नितान्त अन्योचित एवं विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पूर्व डिक्री दिनांक 31—01—1962 को अवैध शुन्य करने संबंधित वाद लेकर आते तो खसरा नम्बर 64/426 के संबंध में डिक्री प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से तक अवैध व शुन्य घोषित होने पर अपीलार्थी को अन्य भाईयों के साथ बराबर हिस्सा मिलता लेकिन अपीलार्थी के भाई जो डिक्री में पक्षकार थे, उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने पर भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

गया इस कारण दावा चलने योग्य नहीं था लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाथी के इन तर्को पर कोई ध्यान नहीं देकर भंयकर कानूनी भूल की है इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग के खातेदार खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी संवंत 2017–20 के अनुसार सुण्डा व ग्यारसा थे जो प्रविष्टि वाद में विलोपित कर दी गई है। उक्त विलोपन के विरूद्ध डिक्री दिनांक 31.01.1962 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 53/61 प्राप्त की गई थी। उक्त डिक्री की पालना करते समय रेस्पोडेंट्स का नाम विलोपित कर दिया गया। मुकदमा नम्बर 53/61 जिसमें डिक्री दिनांक 31.01.1962 जारी की गई है, के वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64/426 में 7 बीघा 7 बिस्वा अंकित किया हुआ है अर्थात हमारा 1/2 हिस्सा 7 बीघा 7 बिस्वा विवादित नहीं था। उपुर्यक्त मुकदमा में हमें पक्षकार भी नहीं बनाया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसमें कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, तथा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में एक वाद रूडा बनाम गंगल्या व अन्य न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर के समक्ष मुकदमा नम्बर 63/1961 के रूप में दर्ज होकर दिनांक 31.01.1962 को फैसल हुआ है। उक्त मुकदमा संबंधी पत्रावली के कागजात प्रदर्श डी–2 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त कागजात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि शैड्यूल ए के रूप में वर्णित की गई है तथा शैड्यूल ए में खसरा संख्या 64/426 का रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा दर्शाया गया हैं। उक्त वाद में पारित डिक्री अनुसार उक्त खसरा नम्बर 64/426 बिरदा व रूडा के शामलाती खाते में रखा गया है। खसरा नम्बरा 64/426 का कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा है। जमाबन्दी संवत 2017 से 20 व खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार खसरा नम्बर 64/426 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा रूघा व बिरदा पिता भौमा 1/2, सुण्डा, ग्यारसिया पिता घासी 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वाद संख्या 63/1961 प्रस्तुत करते समय खसरा नम्बर 64/426 के आधा हिस्से अर्थात 7 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी सुण्डा व ग्यारसा पिता घीसा के नाम दर्ज थी तथा 7 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी रूघा व बिरदा पिता भौमा के नाम दर्ज थी। वाद संख्या 63/1961 में वादी रूडा द्वारा खसरा नम्बर 64/426 के आधा हिस्सा अर्थात 7 बीघा 7 बिस्वा को ही शैड्यूल ए में वादग्रस्त दर्शाया है। न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा को ही रूडा व बिरदा की शामिल खातेदारी में रखा है परन्तु उक्त डिक्री की पालना में जो नामान्तरण संख्या 40 तस्दीक हुआ है उसमें खसरा नम्बर 64/426 के सम्पूर्ण रकबे अर्थात 14 बीघा 14 बिस्वा को रूडा व बिरदा की 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जबकि उक्त खसरा की 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि को ही रूडा व बिरदा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था अर्थात् खसरा नम्बर 64/426 की खातेदारी 1/4, 1/4 हिस्से की रूडा व बिरदा के नाम तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी यथावत सुण्डा व ग्यारसा के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। उक्त डिक्री की गलत पालना के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64/426 की खातेदारी में से वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित हो जाने से वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2009 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री में भूमि वादग्रस्त के शेष 1/2 भाग के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दिया गया। वादीगण द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें अनुतोष के रूप में वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 64/426 के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 बिरदा पुत्र भौमा के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने की दादरसी चाही गई है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा नम्बर 64/426 के शेष 1/2 भाग की खातेदारी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति में अपीलान्ट रूडा की खातेदारी हजफ अथवा विलोपित हो जाने का कथन करते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत हुई है। अपनी बहस में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी होने जरिये डिक्री प्राप्त हुई है तथा उक्त डिक्री को चुनौती नही दिये जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा उनके 1/2 हिस्से की खातदेारी विलोपित नहीं की जा सकती है। यहां पर अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया है कि उक्त डिक्री की रूह से उन्हें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64/426 के रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा के आधा हिस्से की खातेदारी प्राप्त हुई है न कि सम्पूर्ण 14 बीघा 14 बिस्वा की। दूसरी ओर अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 2 बिरदा के 1/2 हिस्से के साथ अपना 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में इसलिए चाहा गया था क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जरिये डिक्री दिनांक 31.01.1962 बिरदा के हिस्से के साथ रूडा अपीलान्ट का नाम भी खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष किन्हीं कारणो से तथ्य छुपाते हुए न्यायालय के समक्ष आये हैं। प्रकरण में वाद बिन्दू स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 64/426 की खातेदारी किन–किन व्यक्तियों की है। उपर्युक्त विवेचन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी संवंत 2017–20 में वादग्रस्त भूमि रूघा व बिरदा पिता भौमा 1/2 तथा सूण्डा व ग्यारसा पिता घासी 1/2 खातेदारी दर्ज है। इसमें से रूघा व बिरदा पिता भौमा हिस्सा 1/2 के संबंध में पूर्ववर्ती वाद संख्या 63/61 में पारित निर्णय अनुसार इसे रूडा व बिरदा की शामलाती भूमि के रूप में निर्णित किया है। पश्चात्वर्ती वाद जिसमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है, में शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण सूण्डा व ग्यारसा के नाम दुरूस्त की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में रूडा व बिरदा 1/4, 1/4 हिस्से के तथा वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 शेष 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा बिरदा, सूण्डा व ग्यारसा के फौत हो जाने पर उनके कानूनी वारिसान उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार हुए हैं। उपर्युक्त विवेचन से प्रकरण के वास्तविक विवाद बिन्दू को निस्तारित करते हुए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में संशोधन करते हुए वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 64/426 वाके ग्राम डाबडी के 1/2 हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्से में से अपीलान्ट को 1/4 भाग व रेस्पोडेंट संख्या 3 के वारिसान को 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। अतः नये खसरा नम्बरान जो गत खसरा नम्बर 64/426 एवं 64/425 की भूमि से बने है उनके कुल रकबे में से गत खसरा नम्बर 64/425 का रकबा कम करते हुए शेष क्षेत्रफल में उपर्युक्तानुसार खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 01–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर